①

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून
Forest Survey of India, Dehradun
डा० संख्या / Diary No. 22
दिनांक / Date 17/1/2020

RTI - No. 19 / 2019

Dated: 13 - 01 - 2020

To,

The RTI Officer,
Forest Survey of India ,
Dehradun (Uttarakhand)

Sub: To provide the information in the public interest under the provision of RTI act 2005.

Sir,
Provide the following information point wise, regarding the stay of Mr. Sushant Sharma Joint Director(TFI) in the Govt. accommodation during his appointment as a Dy. Director in the office of Forest Survey India, Dehradun,

1. The year in which Mr. Sushant Sharma was appointed on deputation as a Dy. Director in the office of Forest Survey of India, Dehradun. 09.5.2005
2. Total time period (From - to) of deputation of Mr. Sushant Sharma was with the office of Forest Survey of India, Dehradun. 09.05.2005 15-10-2011
3. Provide the residential address of Mr. Sushant Sharma,he was residing during his deputation period in the office of Forest Survey of India, Dehradun as Dy. Director.
4. Provide the date of repatriation of Mr. Sushant Sharma from the office of Forest Survey of India to his parent department i.e. U. P. cadre. 15.10.2011
5. After the repatriation of Mr. Sharma,provide the information of the total time he was with his parent department. related to his parent department
6. After the repatriation of Mr. Sushant Sharma, provide the residential address of his family was residing in Dehradun 17.06.2015
7. In the above item no. -6, if his family was residing in officer colony of FSI at convent Road,provide the amount of rent he was paying per month as he occupied the Govt. accommodation.

15/1/20

16/1/20

Amal

(25)

...atter

...post

संख्या: 13-4/2020-प्रशासन- 5814
भारत सरकार
भारतीय वन सर्वेक्षण
कौलागढ़ मार्ग, देहरादून ।

दिनांक 25 फरवरी, 2020

सेवा में,

Sh. KVS Chauhan,
19-Dwarkapuri, Engineer's Enclave,
G.M.S. Road, Dehradun,
Uttarakhand-248001

Sub:- RTI Application under RTI Act-2005.

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 13.01.2020 के संदर्भ में आपको यह सूचित करना है कि आपके द्वारा मांगी गयी सूचना संलग्न की जा रही है ।

भवदीय,

(प्रकाश लखचौरा)
लोक सूचना अधिकारी

संलग्न: उपरोक्तानुसार

प्रेषित
25/2/2020

S.No.	Information Sought	Reply
	The year in which Mr. Sushant Sharma was appointed on deputation as a Dy. Director in the office of Forest Survey of India, Dehradun.	09.05.2005.
	Total time period (From-to) of deputation of Mr. Sushant Sharma was with the office of Forest Survey of India, Dehradun.	From 09.05.2005 to 15.10.2011
3.	Provide the residential address of Mr. Sushant Sharma, he was residing during his deputation period in the office of Forest Survey of India, Dehradun as Dy. Director.	Residential addresses of the officers is personal information u/s 8(1)(j).
4.	Provide the date of repatriation of Mr. Sushant Sharma from the office of Forest Survey of India to his parent department i.e. U.P. Cadre.	15.10.2011
5.	After the repatriation of Mr. Sharma, provide the information of the total time he was with his parent department.	Information does not pertain to Forest Survey of India.
6.	After the repatriation of Mr. Sushant Sharma, provide the residential address of his family was residing in Dehradun.	Residential addresses of the officers is personal information u/s 8(1)(j).
7.	In the above, item no. -6, if his family was residing in officer colony of FSI at convent Raod, provide the amount of rent he was paying per month as he occupied the govt. Accommodation.	S.No. / Date / Rent 1. / February,2012 to July, 2012 / @Rs. 4,320/- 2. / August, 2012 to November, 2013 / @Rs. 20,700/- 3. / December, 2013 to 16 June, 2015 / @Rs. 5,400/-
8.	During his period of stay with the parent department, if Mr. Sharma's family was residing in the Govt. accommodation, provide the permission letter from the competent authority/Ministry or so.	Information is attached.

(4) (20)

संख्या 9-3/2007 (Building)- 6682-86

भारत सकरार

भारतीय वन सर्वेक्षण

पोस्ट ऑफिस-आई0पी0ई0-248195

कौलागढ रोड, देहरादून ।

दिनाँक 13 अगस्त, 2012

कार्यालय आदेश

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून के पूर्व उप निदेशक श्री सुशांत शर्मा, भा0व0से0 को 11-कान्वेंट रोड अधिकारी परिसर में आवंटित मकान संख्या Type V/6 में मार्केट Rate पर माह अगस्त 2012 से मार्च 2013 तक रहने की अनुमति प्रदान की जाती है ताकि वे अपने बच्चों की शिक्षा सुचारू रूप से जारी रख सकें । उक्त अवधि के दौरान वे रू0 20,717/- प्रतिमाह Rent देंगे । बिजली व पानी का प्रभार अतिरिक्त देय होगा।वर्तमान में कार्यालय में रिक्त स्थानों पर यदि प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के आने पर उक्त आवास की आवश्यकता हुई तो उन्हें यह घर दो माह के नोटिस पर खाली करना पड़ेगा ।

यह आदेश महानिदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

13/08/12

(प्रकाश लखचौरा)

उप निदेशक (का0 एंव प्रशा0) o/c

वितरणः-

1. श्री सुशांत शर्मा, पूर्व उप निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून ।
2. वेतन एंव लेखा अधिकारी, (वन) नई दिल्ली ।
3. सहायक निदेशक (लेखा) भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून ।
4. वैयक्तिगत पत्रावली ।
5. कार्यालय आदेश फाइल ।

13/8/12

(21)

No.9-2/2007 543
Government of India
Forest Survey of India
PO-IPE, Kaulagarh Road,
DEHRADUN- 248195

Dated the 27 January, 2014

OFFICE ORDER

With the approval of the competent authority Shri Sushant Sharma, IFS (UP-1995) is permitted to retain the Govt. Quarter No. Type V/6 at FSI office colony 11, Convent road at the rate of maximum allowable license fees of six month, which comes out to be Rs. 5400/- w.e.f. 1st December, 2013 to till further order. He has to give an undertaken to this office that if in future above rates are revised by the Govt. he has to pay the differences.

(Prakash Lakhchaura)
Deputy Director (P&A)

Copy to:- Shri Sushant IFS (UP-1995) regarding re-fixation of license fees Govt. Quarter No. V/6, FSI office colony 11, convent road, Dehradun. It is requested to give an undertaking as mentioned above.

26/1/14

(Prakash Lakhchaura)
Deputy Director (P&A)

139 22

भारत सरकार
भारतीय वन सर्वेक्षण
पो0ऑ0–आई0पी0ई0, कौलागढ़ रोड
देहरादून–248195

दिनांक 15 2015

संख्या–9–2/2007–(पी0 एण्ड ए0) 7934-7936

विषयः कौलागढ़ रोड/11–कान्वेन्ट रोड स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण के आवासों के आवंटन के सम्बन्ध में।

श्री/~~श्रीमती~~ सुशांत शर्मा ....पदनाम वरिष्ठ उप निदेशक ...को भारतीय वन सर्वेक्षण, कौलागढ़ रोड/11 कान्वेन्ट रोड, देहरादून स्थित सरकारी क्वॉटर न0...VI...टाईप...II...का निम्नलिखित नियम व शर्तो पर आवंटन किया जाता है।

(1) इस आवंटन पत्र की प्राप्ति /प्रेषण की तिथि के पांच दिनों के भीतर इसकी स्वीकृति की दो प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के पास पहुंच जानी चाहिए। यदि पांच दिनों की निर्धारित अवधि के अन्दर स्वीकृति प्राप्ति नहीं होगी तो आंवटन अस्वीकृत समझा जायेगा और मामले पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) यदि आवंटन स्वीकार किया जाता है तो आवंटन पत्र की प्राप्ति/प्रेषण के आठ दिनों के भीतर आवंटित निवास का कब्जा सम्पदा अधिकारी/केयर–टेकर भारतीय वन सर्वेक्षण से ले लेंगे मकान का कब्जा लेने की तिथि से लाइसेंस फीस नियमानुसार देय हो जायेगी। आवंटित आवास का मासिक शुल्क रू0.....1320/-...प्रति माह होगा जिसकी कटौती वेतन बिल से की जाया करेगी।

(3) सरकारी निवास स्थान में बिजली के मीटर लगाये गये हैं। मकान का कब्जा लेते समय मीटर में जो रीडिंग होगी उसका उल्लेख भी कब्जा प्राप्त करने वाले फार्म पर किया जायेगा। यही उल्लेख मकान खाली करने के समय भी किया जायेगा। बिजली की मीटर रीडिंग संस्थान के विद्युतकार के द्वारा हर मास के तीसरे सप्ताह में की जायेगी तथा UPSEB की दरों अनुसार बिल काबिज कर्मचारियों को दे दिये जायेंगे तथा इसकी एक समेकित विवरणी लेखा अनुभाग को प्रेषित कर दी जायेगी तथा उसमें दर्शायी गयी राशि सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन बिल से कर ली जायेगी।

(4) पानी उपभोग हेतु...रु. 75/-...रूपये प्रतिमाह की दर से प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी से उनके वेतन बिल से काटा जायेगा करेगा।

(5) निवास स्थान की जो हालत आवंटन के समय होगी वहीं हालत खाली करने के समय होने की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई क्षति तोड़–फोड़ होगी तो उसका भुगतान सम्बन्धित कर्मचारी को करना होगा।

(6) सरकारी निवास में किसी प्रकार की Additional/Alteration करना नियमों का उल्लंघन समझा जायेगा तथा इसके लिए नियमानुसार सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(7) यदि अधिकरी/कर्मचारी अपने आवंटित आवास के बदले में उक्त पात्रता आवास नहीं लेना चाहता तो आवंटित आवास के लिये मूल नियम 45 (क) के अधीन देय अनुज्ञप्ति शुल्क (Licence fee) जो भी अधिक, हो देकर आवंटित आवास में बना रह सकता है।

15-10-2015

(13)

(8) यदि आवंटन स्वीकार करने के पश्चात् अधिकारी/कर्मचारी आवास का कब्जा नहीं ले पाता है तो स्वीकृति की तिथि से एक माह तक अथवा आवंटित आवास के अन्य को आवंटित किये जाने तक इसमें जो भी तिथि पहले समाप्त हो उससे अनुज्ञप्ति शुल्क वसूल किया जायेगा।

(9) आवंटित आवास से किसी को भी भागीदार अथवा उप किरायेदार के रूप में नहीं रखने दिया जायेगा। ऐसा पाया जाने पर सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) आवास लेने/देने का कार्य कार्यालय समय से ही किया जायेगा।

सेवा में,

श्री/श्रीमती सुशांत शर्मा

वरिष्ठ उप निदेशक

सम्पदा अधिकारी
भारतीय वन सर्वेक्षण (मुख्यालय)
देहरादून।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सहायक निदेशक (लेखा) भा0व0स0 देहरादून। आवंटित आवास का मासिक शुल्क (लाइसेंस फीस) मात्र रु. 1320/- प्रतिमाह, पानी उपभोग हेतु मात्र रु. 75/- प्रतिमाह कटौती होगी तथा बिजली के उपभोग से सम्बन्धित विवरण हर माह की 15 तारीख तक लेखा अनुभाग की कटौती प्रस्तुत कर दी जाया करेगी जिसकी कटौती भी मासिक वेतन बिलों से देय होगी।
2.
3. केयरटेकर, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून।

सम्पदा अधिकारी
भारतीय वन सर्वेक्षण (मुख्यालय)